15/9/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व वादीगण को न्यायालय समय तक रूक रूक कर कई बार आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करने के बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/9/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।